

NT>

Title: Regarding the problems faced by the ex-army personnel.

**कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाइमेर) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी और सदन का ध्यान भू.पू.सैनिकों की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसके कारण वे राजस्थान में आन्दोलन कर रहे हैं। वहाँ हालत बहुत खराब है, लेकिन यह अच्छी बात हुई कि वहाँ लाठी और गोली नहीं चली। वहाँ भू.पू. प्रधान मंत्री जी भी गए थे और उनको आश्वासन देकर आए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने देश में पिछले 55 वर्षों में भू.पू. सैनिकों की दशा दिनोदिन खराब होती जा रही है। हर साल 50 हजार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं। आज करीब 50 लाख भू.पू. सैनिक और उनके परिवार देश में हैं। देश में आज 18 लाख सैनिक विभिन्न राज्य एवं केन्द्रीय सैनिक बोर्डों में भर्ती के लिए दर्ज हैं। यह दुर्दशा इसलिए हो रही है कि भू.पू. सैनिक 35-40 साल की उम्र में ही रिटायर कर दिए जाते हैं क्योंकि हमें यंग आर्मी की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में जो केन्द्र सरकार के इंस्ट्रक्शन्स होते हैं, जो हिदायतें होती हैं, उन पर राज्यों में अमल नहीं होता है।

महोदय, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय "वन रैंक वन पेंशन" का है। वन रैंक वन पेंशन देने का सवाल अनेक वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसको सरकार नहीं मान रही है। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी का भी मੈम्बर हूँ। हमने यह मामला वहाँ भी उठाया था, लेकिन उन्होंने यह कह कर मना कर दिया कि दूसरी नौकरियों में बदलाव के लिए हम प्रयास करेंगे और इस बात को नहीं माना।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सर्विस कंडीशन्स हैं, वे सिविलियन से बिलकुल अलग हैं। आजादी से पहले भू.पू. जवानों को ज्यादा सुविधाएं मिलती थीं। जैसा मैंने पहले कहा कि ये लोग 35-40 साल की उम्र तक ही सेवा करते हैं और उसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। उन्हें छुट्टियां भी बहुत कम मिलती हैं। मैं आपको आंकड़ें बताना चाहता हूँ कि भू.पू. सैनिकों को आजादी से पहले वेतन के 70 से 90 प्रतिशत तक पेंशन मिलती थी। उनका कहना था कि अरली रिटायरमेंट हायर कंपैनसेशन। उन्होंने यह फार्मूला दिया था। इसके अलावा जो ग्रुप "डी" और "सी" के लिए सुविधाएं केन्द्र सरकार के आदेशों के अनुसार राज्य सरकारों की ओर से मिलनी चाहिए वे सुविधाएं राज्य सरकारें नहीं देती हैं। इसके लिए हमने पिछली बार भी यहाँ पर कहा था। यह मामला यहाँ उठाया भी था कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसके तहत जो भी हिदायत केन्द्र सरकार की ओर से एक्स सर्विसमैन को सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को जाएं उनका वहाँ पूरी तरह से पालन होना चाहिए। इसके अलावा मैं एक और अन्य महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और वह है भू.पू. सैनिकों को मैडीकल सुविधाओं का अभाव। केन्द्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को सी.जी.एच.एस. के माध्यम से मैडीकल की सुविधाएं मिलती हैं।

आज उनको कुछ भी फैंसिलिटीज नहीं मिलती हैं। उनके लिए आर्मी हास्पिटल्स हैं। उनको कहा जाता है कि आप आर्मी हास्पिटल में जाइये। जब वहाँ सर्विस कर रहे सोल्जर को पूरी फैंसिलिटी नहीं मिलती तब इनको कैसे मिलेगी ? पिछले चार साल से कुछ कम्पेनसेशन पैकेज देने के लिए कह रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। सौ रुपया महीना देने की बात है। ₹1 (व्यवधान) इस सौ रुपये से क्या होता है ? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह मामला बहुत गंभीर है।

**SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY :** Sir, I rise to associate with him. I am a daughter of a service man. The tragedy is that this is the largest secular force. This is the last bastion of our country where we have all castes, communities of people working together to serve the nation in wartime and in peacetime. If the Government is not sensitive to the needs of our servicemen, it will not be good to them. We are retiring them at the peak of their physical and mental fitness. The country has invested in these people and these people can be called back every time when there is a famine, flood, drought, political tension and aggression on our border. It is these people who stand as a whole to meet the situation.

Now, the recruitment is not any more lucrative. If the *jawans* have to retire at the height of their physical and best of their abilities, their family members are left virtually begging on the roads. So, I want that the Government should respond in this regard immediately.

**कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** दूसरा, एप्वाइंटमेंट के बारे में है जो स्टैंडिंग कमेटी को दिया गया है। आर्मी स्टाफ, नेवी स्टाफ आदि तीनों के चीफ ने भी दिया है कि 17 साल की बजाय 6-7 साल सर्विस कर दें, उसके बाद उनको पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती कर दें। इससे वे यंग जवान पैरामिलिट्री फोर्स में चले जायेंगे और 58 साल तक नौकरी करेंगे। ₹1 (व्यवधान) ये हमारी मांगे हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** इससे ज्यादा समय मैं आपको और नहीं दे सकता हूँ।

...(व्यवधान)

**कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप इनके बारे में प्रधान मंत्री जी को कहना चाहिए। यह उन्हीं के माध्यम से हो सकता है।